[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i), EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi the 5-7- 2011

G.S.R. .... (E). – In exercise of the powers conferred by clause (A) and (b) of sub-section (1) of section 642 read with sections 266A, 266B and 266E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006 namely:-

1. Short title and commencement
   (1) These rules may be called the Companies Director Identification Number (Third Amendment) Rules, 2011.
   (2) They shall come into force with effect from 9th July, 2011.

2. For rule 2, sub-rule (ii), following shall be substituted:-

"Director Identification Number" (DIN) means an identification number which the Central Government may allot to any individual, intending to be appointed as director or to any existing directors of a company, for the purpose of his identification as such and includes Designated Partnership Identification Number (DPIN) issued under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and rules made thereunder."

3. For Forms DIN-1 and DIN-4, the following Forms shall be substituted, namely:-

FORM NO. DIN-1

Application for allotment of Director Identification Number

[See Rule 3(1) of the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006, Rule 10 of Limited Liability Partnership Rules, 2009]

Note -

- All fields marked in * are to be mandatorily filled.

- Income-tax Permanent Account Name (Income-tax PAN) is mandatory in case of Indian nationals and in such case applicant details should be as per Income-tax PAN. In case the details as per Income-tax PAN are incorrect, applicant is advised to first correct the details in Income-tax PAN. Refer instruction kit for details.

- In case of foreign nationals, Passport number is mandatory.

1. *Applicant's name (Enter full name and do not use abbreviations)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

Photograph

(Attach a latest passport size photograph by clicking on above box)

Remove Photograph

2. *Father's name (Even married women must give father's name)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

3. *Whether a citizen of India ◯ Yes ◯ No

4. Nationality

5. *Date of birth (DD/MM/YYYY)

6. *Gender ◯ Male ◯ Female

7. Place of birth

8. Income-tax permanent account number

Verify Income-tax PAN details

9. Voter's identity card number

10. Passport number

11. Driving license number

12. Permanent residential address

*Line I

Line II

*City

*State

*Pin code

* ISO country code

Country

Phone

*Mobile

Fax

*e-mail ID

13. *Whether present residential address is same as permanent residential address ◯ Yes ◯ No

14. Present residential address

Line I

Line II

City

State

Pin code

ISO country code

Country

Phone

Fax

Certification

*☐ It is hereby certified that the attached photograph and attached documents are of the applicant. It is further certified that all required attachments have been completely attached to this application.

*☐ It is further certified that I have verified the above particulars of the applicant from the original documents of the applicant. I found them to be true and correct and are also in agreement with the attached document.

Note: In case where the applicant is residing outside India, the particulas have to be verified from the documents duly attested by the attesting authority as mentioned in the instruction kit.

*☐ It is further certified that the applicant has given a verification in respect of the following and copy of verification by the applicant as per Annexure - 1 of the DIN Rules has been attached -

- *☐ the applicant is not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of Companies Act,1956 including Sections 203, 274, 284 and 388(E) of the said Act or for being appointed as a designated partner of a limited liability partnership under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 including section 5 of the said Act.
- *☐ the applicant has not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court.
- *☐ the applicant has not been allotted a Director Identification Number (DIN) under section 266B of the Companies Act,1956 or a Designated Partner Identification Number (DPIN) under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

*☐ I have been duly authorised by the applicant to sign and submit this application.

Attachments (Refer instruction kit for details)

List of attachments

1. *Proof of identity of applicant [Attach]
2. *Proof of residence of applicant [Attach]
3. * Copy of verification by the applicant as per Annexure - 1 of the DIN Rules [Attach]
4. Optional attachment(s) - if any [Attach]

[Remove attachment]

To be digitally signed by

*Category

In case of Chartered accountant or Company secretary or Cost accountant (in whole- time practice)

Membership number or certificate of practice number of Chartered accountant or Company secretary or Cost accountant (in whole- time practice)

Whether associate or fellow ○ Associate ○ Fellow

In case of secretary (who is member of ICSI), in wholetime employment of existing company in which the applicant is proposed to be a director

Membership number of the secretary

Whether associate or fellow ○ Associate ○ Fellow

Corporate identity number (CIN) of company with which secretary is associated and in which applicant is proposed to be a director

[Pre-fill]

Name of company

[Modify] [Check Form] [Prescrutiny] [Submit]

This eForm has been taken on record by the Central Government through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the person filing the form

Verification of applicant in case of Form DIN-1 as per Annexure 1 of the DIN rules

I, ...(name of applicant), Son/Daughter* of ....(applicant's father's name), born on ....(date of birth), resident of ....(present residential address of the applicant) hereby confirm and verify that the particulars given in the Form DIN-1 are true and correct and also are in agreement with the document being attached to the Form DIN-1.

I further confirm that

(i) The photograph and document being attached to the Form DIN-1 belong to me. I further confirm that all required documents have been duly certified by the respective government authority and are being attached to the Form DIN-1 and

(i) I am not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of Companies Act, 1956 including Section 203, 274, 284 and 388 (E) of the said Act or for being appointed as a designated partner of a limited liability partnership under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 including section 5 of the said Act and

(ii) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court and

(iii) I have not been already allotted a Director Identification Number (DIN) under Section 266B of the Companies Act, 1956 or a Designated Partner Identification Number (DPIN) under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

(iv) Mr/ Ms .... CA/ CS/ CWA in practice has been authorised to digitally sign DIN application on my behalf.

*Note: Strike out whichever is not applicable.

Signature:
(Name)

FORM NO. DIN-4

[See Rule 7 of the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006, Rule 10 of Limited Liability Partnership Rules, 2009]

Intimation of change in particulars of Director/ Designated Partner to be given to the Central Government

Note -

- All fields marked in * are to be mandatorily filled.

- In case of Indian nationals, Income-tax Permanent Account Name (Income-tax PAN) is mandatory in all cases even if there is no change in Income-tax PAN. In such cases, director/ designated partner details should be as per Income-tax PAN. In case the details as per Income-tax PAN are incorrect, director/ designated partner is advised to first correct the details in Income-tax PAN. Refer instruction kit for details

1.(a) *Director Identification Number (DIN) ☐ Pre-fill

(b) Name ☐

2. * Type of change:

☐ Director/ Designated Partner Name	☐ Father's name	☐ Nationality
☐ Date of birth	☐ Gender	☐ Income-tax PAN
☐ Voters Identity card number	☐ Passport number	☐ Driving license number
☐ E-mail ID/ Mobile	☐ Permanent residential address	☐ Present residential address

Enter information that needs to be corrected. Enter only the relevant field(s)

3. Director's/ Designated Partner's name (Enter full name and do not use abbreviations)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

Photograph

(Attach a latest passport size photograph by clicking on above box)(Refer instruction kit for details)

Remove Photograph

4. Father's name (Even married women must give father's name)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

5. Whether a citizen of India ◯ Yes ◯ No

6. Nationality

7. Date of birth (DD/MM/YYYY)

8. Gender ◯ Male ◯ Female

9. Income-tax permanent account number

Verify Income-tax PAN details

10. Voter's identity card number

11. Passport number

12. Driving license number

*13.Mobile

*14. e-mail ID

15. Permanent residential address

Line I

Line II

City

State

Pin code

ISO country code

Country

Phone

Fax

16. Whether present residential address is same as permanent residential address ◯ Yes ◯ No

17. Present residential address

Line I

Line II

City

State | Pin code

ISO country code

Country

Phone | Fax

Certification

* ☐ It is hereby certified that the attached photograph and attached documents are of the director/ designated partner. It is further certified that all required attachments have been completely attached to this form.

* ☐ It is further certified that I have verified the above particulars of the director/ designated partner from the original documents of the director/ designated partner. I found them to be true and correct and are also in agreement with the attached documents.

Note: In case where the director/ designated partner is residing outside India, the particulars have to be verified from the documents duly attested by the attesting authority as mentioned in the instruction kit.

* ☐ It is further certified that the director/ designated partner has given a verification in respect of the following and copy of verification by the director/ designated partner as per Annexure - 2 of the DIN rules has been attached -

  * ☐ the director/ designated partner is not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of Companies Act,1956 including Sections 203, 274, 284 and 388(E) of the said Act or for being appointed as a designated partner of a limited liability partnership under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 including section 5 of the said Act.

  * ☐ the director/ designated partner has not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court.

  * ☐ the director/ designated partner has no other alloted DIN other than DIN in which changes are intimated, under section 266B of the Companies Act,1956 or a Designated Partner Identification Number (DPIN) under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

* ☐ I have been duly authorised by the director/ designated partner to sign and submit this form.

Attachments

List of attachments

1. *Proof of change in particulars — Attach
2. *Copy of verification by the director/ designated partner as per Annexure - 2 of the DIN rules — Attach
3. Optional attachment(s) - if any — Attach

Remove attachment

To be digitally signed by

*Category

In case of Chartered accountant or Company secretary or Cost accountant (in whole- time practice)

Membership number or certificate of practice number of Chartered accountant or Company secretary or Cost accountant (in whole- time practice)

Whether associate or fellow ○ Associate ○ Fellow

In case of secretary (who is member of ICSI) in wholetime employment of existing company with which director is associated

Membership number of the secretary in wholetime employment of existing company

Whether associate or fellow ○ Associate ○ Fellow

Corporate identity number (CIN) of company with which secretary and director is associated

Name of company — Pre-fill

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

This eForm has been taken on record by the Central Government through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the person filing the form

Verification of director/ designated partner in case of Form DIN-4 as per Annexure- 2 of the DIN rules

I, ...(name of director/ designated partner), Son/Daughter* of ....(director's/ designated partner's father's name), born on ....(date of birth), resident of .... (present residential address of the director/ designated partner) hereby confirm and verify that the particulars given in the Form DIN-4 are true and correct and also are in agreement with the document being attached to the Form DIN-4.

(i) I have applied for change of:-

a) Director/ Designated Partner Name (along with proof and in case of change of name a copy of Notification published in the Gazette)
b) Father's name (along with proof)
c) Nationality (along with proof)
d) Date of Birth (along with proof and in case of change in date of birth, copy of Notification published in the Gazette)
e) Gender (along with proof)
f) Income –Tax Permanent Account Number (along with proof)
g) Voters Identity Card Number (along with proof)
h) Passport Number (along with proof)
i) Driving License Number (along with proof)
j) Email ID/ Mobile (along with declaration)
k) Permanent residential address (along with proof)
l) Present residential address (along with proof)

I further confirm that

(ii) The photograph and document being attached to the Form DIN-4 belong to me. I further confirm that all required documents have been duly issued by the respective government authority and are being attached to the Form DIN-4 and

(iii) I am not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of Companies Act, 1956 including Section 203, 274, 284 and 388 (E) of the said Act or for being appointed as a designated partner of a limited liability partnership under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 including section 5 of the said Act and

(iv) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court and

(v) I have no any other allotted Director Identification Number (DIN) other than DIN in which changes are intimated under Section 266B of the Companies Act, 1956 or a Designated Partner Identification Number (DPIN) under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

(vi) Mr/ Ms .... CA/ CS/ CWA in practice has been authorised to digitally sign DIN application on my behalf.

*Note: Strike out whichever is not applicable.

Signature:
(Name)

[F No 2/1/2011-CL.V]

Avinash K. Srivastava,
Joint Secretary

Note:- The Principal notification was published vide number G.S.R. 649(E) dated the 19th October, 2006 and last amended vide G.S.R. 427 (E) dated the 2nd June, 2011.

(भारत का राजपत्र भाग II, खंड 3, उप खंड (i), असाधारण में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक: ..5-7..2011

सा.का.नि.   (अ) – केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क, 266ख तथा 266ड. के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (i) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: -

1. <u>संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तारीख</u>

   (1) इन नियमों को कम्पनी निदेशक पहचान संख्या (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 कहा जाएगा।

   (2) ये नियम 9 जुलाई, 2011 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2, उप नियम (ii) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

   "निदेशक पहचान संख्या" (डीआईएन) का अर्थ है वह पहचान संख्या जो केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति को, जो निदेशक के रूप में नियुक्त होना चाहता हो अथवा किसी कम्पनी के किसी मौजूदा निदेशक को उसकी पहचान के उद्देश्य से आवंटित कर सकती है तथा इसमें सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत जारी पदनामित भागीदारी पहचान संख्या (डीपीआईएन) शामिल है।"

3. डीआईएन-1 तथा डीआईएन-4 प्रपत्रों के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत::-

"फार्म संख्या डीआईएन 1

[देखें कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 का नियम 3(1), सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 का नियम 10]

निदेशक पहचान संख्या के आवंटन हेतु आवेदन पत्र

टिप्पणी - *चिह्नित सभी फील्ड भरना अनिवार्य है।

- भारत के नागरिकों के मामले में आयकर स्थाई खाता संख्या (आयकर पैन) आवश्यक है और ऐसे मामले में आवेदक का विवरण आयकर पैन के अनुरूप होना चाहिए। यदि आयकर पैन के अनुसार विवरण सही न हों तो आवेदक को पहले आयकर पैन में विवरण सही करने का परामर्श दिया जाता है।
विवरण हेतु निदेश पुस्तिका देखें।
-विदेशी नागरिकों हेतु पासपोर्ट संख्या आवश्यक है।

1. *आवेदक का नाम (पूरा नाम दें और संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

(क) पहला नाम ....

(ख) अंतिम नाम ....

(ग) मध्य नाम ....

फोटोग्राफ

2. *पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम दें)

(क) पहला नाम ....

(ख) अंतिम नाम ....

(ग) मध्य नाम ....

(उपर्युक्त खाने में क्लिक करके अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएं) (विस्तृत विवरण हेतु निदेश पुस्तिका देखें)

फोटोग्राफ हटाएं

3. *क्या भारत के नागरिक हैं   O हां   O नहीं

4. राष्ट्रीयता ....   5. *जन्म तिथि .... (तारीख/माह/वर्ष)

6. *लिंग   O पुरुष   O महिला   7. जन्म का स्थान ....

8. आयकर स्थायी खाता संख्या.................. (आयकर पैन विवरण प्रमाणित कराएं)

9. वोटर की पहचान कार्ड संख्या ....

10. पासपोर्ट संख्या ....

11. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या ....

12. स्थायी रिहायशी पता

*लाइन I ....

लाइन II ....

*शहर ....

*राज्य .... *पिन कोड ....

*आईएसओ देश कोड ....

देश ....

दूरभाष .... *मोबाइल .... फैक्स ....

*ई-मेल आईडी ....

13. *क्या वर्तमान रिहायशी पता स्थायी रिहायशी पता ही है O हां O नहीं

14. वर्तमान रिहायशी पता

*लाइन I ....

लाइन II ....

*शहर ....

*राज्य .... *पिन कोड ....

*आईएसओ देश कोड ....

देश ....

दूरभाष .... फैक्स ....

प्रमाणन

*O एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न फोटोग्राफ एवं दस्तावेज आवेदक के हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सभी अपेक्षित संलग्नक इस आवेदन के साथ पूर्ण रूप से संलग्न किए गए हैं।

*O यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदक के उपरोक्त विवरण उसके मूल दस्तावेजों से सत्यापित कर लिए हैं। उन्हें सत्य, सही एवं मूल दस्तावेजों के अनुरूप पाया है।

नोट: यदि आवेदक भारत के बाहर निवास करते हैं तो निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार ब्यौरों को सत्यापन प्राधिकारी द्वारा यथावत् सत्यापित किए गए दस्तावेजों से सत्यापित किया जाएगा।

*O यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने निम्नलिखित के संबंध में सत्यापन भी प्रस्तुत किया है एवं सत्यापन की प्रति डीआईएन नियम के अनुलग्नक-1 के अनुसार संलग्न की गई है-

> *O आवेदक को कंपनी अधिनियम की धाराओं 203, 274, 284 एवं 388(ङ) सहित कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत किसी कंपनी के निदेशक अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 सहित उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के तहत किसी सीमित देयता भागीदारी में पदनामित भागीदार नियुक्त होने हेतु निषेध नहीं किया गया है/अयोग्य नहीं ठहराया गया है/हटाया नहीं गया है।

*O आवेदक को आर्थिक अपराध न्यायालय या न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्-घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है।

*O आवेदक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 266ख के तहत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के तहत पदनामित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन) आबंटित नहीं किया गया।

*O मुझे आवेदक द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर करने एवं उसे जमा करने हेतु विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया है।

संलग्नक (विवरण के लिए निदेश देखें)

संलग्नकों की सूची

1. *आवेदक की पहचान का प्रमाण **(संलग्न करें)**
2. *आवेदक की रिहायश का प्रमाण **(संलग्न करें)**
3. *आवेदक द्वारा सत्यापन की प्रतिलिपि **(संलग्न करें)**
   डीआईएन नियम के अनुलग्नक-1 के अनुसार
4. वैकल्पिक संलग्नक – यदि हों **(संलग्न करें)**

संलग्नक हटाएं

डिजिटल हस्ताक्षर करें

*श्रेणी ....

चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कम्पनी सचिव अथवा लागत लेखाकार के मामले में (पूर्णकालिक व्यवसायरत)

(पूर्णकालिक व्यवसायरत) चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कंपनी सचिव अथवा लागत लेखाकार की सदस्यता संख्या अथवा प्रैक्टिस संख्या का प्रमाण-पत्र

एसोसिएट अथवा फैलो O एसोसिएट O फैलो

वर्तमान कंपनी जिसमें आवेदक निदेशक बनने हेतु प्रस्तावित है में पूर्ण कालिक सचिव (जो आईसीएसआई का सदस्य है) के मामले में

सचिव की सदस्यता संख्या.............................

एसोसिएट अथवा फैलो O एसोसिएट O फैलो

सचिव जिस कंपनी से संबंधित है और जिसमें आवेदक निदेशक बनाए जाने हेतु प्रस्तावित है उस कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या .... पहले से भरा हुआ

कंपनी का नाम

....

<u>संशोधन</u> <u>चैक फार्म</u> <u>पूर्वसंवीक्षा</u> <u>प्रस्तुत</u>

यह ई फार्म केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रोनिक मोड से रिकॉर्ड पर लिया गया है और फार्म भरते समय आवेदक द्वारा दिए गए सत्य विवरण पर आधारित है

डीआईएन नियमों के अनुलग्नक-1 के अनुसार फार्म डीआईएन-1 के मामले में आवेदक का सत्यापन

मै. .... (आवेदक का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री* .... (आवेदक के पिता का नाम) जन्म तिथि .... पता .... (आवेदक का वर्तमान रिहायशी पता) एतद् द्वारा पुष्टि एवं सत्यापित करता हूं कि डीआईएन-1 फॉर्म में दिया गया विवरण सत्य एवं सही है तथा डीआईएन-1 फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुरूप है।

मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि

(i) डीआईएन-1 फार्म में लगाया गया फोटोग्राफ एवं प्रपत्र मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि सभी अपेक्षित प्रपत्र संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं एवं डीआईएन-1 फार्म के साथ संलग्न किए जा रहे है तथा

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों एवं उक्त अधिनियम की धाराओं 203, 274, 284 एवं 388(ङ) के तहत मुझे किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त होने से या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों सहित उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत किसी सीमित देयता भागीदारी में पदनामित भागीदार के रूप में नियुक्त होने से निषेध नहीं किया गया है/अयोग्य नहीं ठहराया गया है/हटाया नहीं गया है तथा

(iii) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्-घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है तथा

(iv) मुझे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 266ख के तहत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के तहत पदनामित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन) पहले आवंटित नहीं किया गया है।

(v) श्री/सुश्री....................(प्रेक्टिसरत चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार) को मैंने अपनी ओर से डीआईएन आवेदन पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया है।

*नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षर:

(नाम)

फार्म संख्या डीआईएन 4

[देखें कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 का नियम 7, सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 का नियम 10]

निदेशक/पदनामित भागीदार के विवरण में परिवर्तन की केन्द्र सरकार को दी जाने वाली सूचना

टिप्पणी - *चिह्नित सभी फील्ड भरना अनिवार्य है।

भारत के नागरिकों के मामले में, सभी मामलों में आयकर स्थायी खाता नाम (आयकर पैन) अनिवार्य है चाहे आयकर पैन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ हो। ऐसे मामलों में निदेशक/पदनामित भागीदार के विवरण आयकर पैन के अनुसार होने चाहिए। यदि आयकर पैन के अनुसार विवरण सही न हों तो निदेशक/पदनामित भागीदार को पहले आयकर पैन में विवरण सही करने का परामर्श दिया जाता है। विवरण के लिए निदेश देखें।

1. (क) *निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) .... पहले से भरा हुआ

   (ख) नाम ....

2. *परिवर्तन के प्रकार

O निदेशक/पदनामित भागीदार का नाम	O पिता का नाम	O राष्ट्रीयता
O जन्म तिथि	O लिंग	O आयकर पैन संख्या
O मतदाता पहचान-पत्र संख्या	O पासपोर्ट संख्या	O ड्राइविंग लाइसेंस संख्या
O ई-मेल आईडी/मोबाइल	O स्थाई रिहायशी पता	O वर्तमान रिहायशी पता

वही सूचना भरें जिसे ठीक किया जाना है। केवल संबंधित फील्ड भरें।

3. निदेशक/पदनामित भागीदार का नाम (पूरा नाम भरें तथा संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

(क) पहला नाम ....

(ख) अंतिम नाम ....

(ग) मध्य नाम ....

फोटोग्राफ

(उपर्युक्त खाने में अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएं)
(विवरण के लिए निदेश देखें)

फोटाग्राफ हटाएं

4. **पिता का नाम (विवाहित महिलाएं अपने पति का नाम दें)**

(क) पहला नाम ....

(ख) अंतिम नाम ....

(ग) मध्य नाम ....

5. क्या भारत के नागरिक हैं O हां O नहीं

6.. राष्ट्रीयता ....

7. जन्म तिथि .... (दिन/माह/वर्ष)

8: लिंग O पुरुष O महिला

9. आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) ....

(आयकर पैन विवरण प्रमाणित कराएं)

10. वोटर की पहचान कार्ड संख्या ....

11. पासपोर्ट संख्या ....

12. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या .... 13. *मोबाइल ....

14. *ई-मेल आईडी..

15. स्थायी रिहायशी पता

लाइन I ....

लाइन II ....

शहर ....

राज्य .... पिन कोड ....

आईएसओ देश कोड ....

देश ....

दूरभाष .... फैक्स ....

16. क्या स्थायी रिहायशी पता ही वर्तमान रिहायशी पता है O हां O नहीं

17. वर्तमान रिहायशी पता

लाइन I ....

लाइन II ....

शहर ....

राज्य .... पिन कोड ....

आईएसओ देश कोड ....

देश ....

दूरभाष .... फैक्स ....

प्रमाणन

*O एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न फोटोग्राफ और संलग्न दस्तावेज निदेशक/पदनामित भागीदार के हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रपत्र के साथ सभी अपेक्षित संलग्नक लगाए गए हैं।

*O यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निदेशक/पदनामित भागीदार के उपर्युक्त विवरणों की निदेशक/पदनामित भागीदार के मूल दस्तावेजों से जांच की है। मैंने उन्हें सत्य और सही तथा संलग्न दस्तावेजों के अनुरूप पाया है।

नोट: यदि निदेशक/पदनामित भागीदार भारत के बाहर निवास करते हैं तो निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार ब्यौरों को सत्यापन प्राधिकारी द्वारा यथावत् सत्यापित किए गए दस्तावेजों से सत्यापित किया जाएगा।

*O यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक/पदनामित भागीदार ने निम्नलिखित के संबंध में सत्यापन दिया है और डीआईएन नियमों के अनुलग्नक-2 के अनुसार निदेशक द्वारा दिए गए सत्यापन की प्रति संलग्न है-

> *O निदेशक/पदनामित भागीदार को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 203, 274, 284 तथा 388(ङ) शामिल हैं, के अंतर्गत कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 सहित उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार किसी सीमित देयता भागीदारी में पदनामित भागीदार के रूप में नियुक्त होने से निषेध/अयोग्य/हटाया नहीं गया है।
>
> *O निदेशक/पदनामित भागीदार को किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्-घोषित अपराधी घोषित नहीं गया है।
>
> *O निदेशक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 266ख के तहत आवंटित डीआईएन, जिसमें परिवर्तन सूचित किए जा रहे हैं, के अतिरिक्त अन्य कोई डीआईएन अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के तहत पदनामित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन) आवंटित नहीं की गई है।

*O मुझे इस फार्म पर हस्ताक्षर करने व इसे प्रस्तुत करने के लिए निदेशक द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया है।

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1. *विवरण में परिवर्तन का प्रमाण (संलग्न करें)
2. *निदेशक द्वारा सत्यापन की प्रति (संलग्न करें)
   डीआईएन नियमों के अनुलग्नक-2 के अनुसार
3. वैकल्पिक संलग्नक – यदि हों (संलग्न करें)

संलग्नक हटाएं

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने हेतु

*श्रेणी ....

चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कम्पनी सचिव अथवा लागत लेखाकार के मामले में (पूर्णकालिक व्यवसायरत)

(पूर्णकालिक व्यवसायरत) चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कंपनी सचिव अथवा लागत लेखाकार की सदस्यता संख्या अथवा प्रैक्टिस संख्या का प्रमाण-पत्र
एसोसिएट अथवा फैलो O एसोसिएट O फैलो

वर्तमान कंपनी जिसमें आवेदक निदेशक बनने हेतु प्रस्तावित है में पूर्ण कालिक सचिव (जो आईसीएसआई का सदस्य है) के मामले में

वर्तमान कंपनी में पूर्णकालिक रूप से नियुक्त सचिव की सदस्यता संख्या............................
एसोसिएट अथवा फैलो O एसोसिएट O फैलो

उस कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) जिससे सचिव और निदेशक संबंधित हैं

कंपनी का नाम .... पहले से भरा हुआ

....

....

<u>संशोधन</u> <u>चैक फार्म</u> <u>पूर्वसंवीक्षा</u> <u>प्रस्तुत</u>

यह ई फार्म केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रोनिक मोड से रिकॉर्ड पर लिया गया है और फार्म भरते समय आवेदक द्वारा दिए गए सत्य विवरण पर आधारित है

डीआईएन नियम के अनुलग्नक-2 के अनुसार प्रपत्र डीआईएन-4 के मामले में निदेशक का सत्यापन

मै. .... (निदेशक/पदनामित भागीदार का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री* .... (निदेशक/पदनामित भागीदार के पिता का नाम) जन्म तिथि .... पता .... (निदेशक का वर्तमान रिहायशी पता) एतद् द्वारा पुष्टि एवं सत्यापित करता हूं कि डीआईएन-4 फॉर्म में दिया गया विवरण सत्य एवं सही है तथा डीआईएन-4 फॉर्म के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुरूप है।

(i) मैंने निम्नलिखित परिवर्तन के लिए आवेदन किया है:-

(क) निदेशक/पदनामित भागीदार का नाम (प्रमाण सहित और नाम परिवर्तन के मामले में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतिलिपि)

(ख) पिता का नाम (प्रमाण सहित)

(ग) राष्ट्रीयता (प्रमाण सहित)

(घ) जन्म की तारीख (प्रमाण सहित और जन्म की तारीख में परिवर्तन के मामले में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतिलिपि)

(ङ) लिंग (प्रमाण सहित)

(च) आय कर स्थायी खाता संख्या (प्रमाण सहित)

(छ) मतदाता पहचान पत्र संख्या (प्रमाण सहित)

(ज) पासपोर्ट संख्या (प्रमाण सहित)

(झ) ड्राइविंग लायसेंस संख्या (प्रमाण सहित)

(ञ) ई-मेल पता/मोबाइल संख्या (घोषणा सहित)

(ट) स्थायी रिहायशी पता (प्रमाण सहित)

(ठ) वर्तमान रिहायशी पता (प्रमाण सहित)

मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि

(ii) डीआईएन-4 फॉर्म में लगाया गया फोटोग्राफ एवं प्रपत्र मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि सभी अपेक्षित प्रपत्र संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत जारी किए गए हैं एवं डीआईएन-4 फॉर्म के साथ संलग्न किए जा रहे है तथा

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों एवं उक्त अधिनियम की धाराओं 203, 274, 284 एवं 388(ङ) के तहत मुझे किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त होने से या

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 सहित उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के तहत किसी सीमित देयता भागीदारी में पदनामित भागीदार के रूप में नियुक्त होने से निषेध नहीं किया गया है/अयोग्य नहीं ठहराया गया है/हटाया नहीं गया है तथा

(iv) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है तथा

(v) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 266ख के तहत मैंने जिस डीआईएन में परिवर्तनों की सूचना दी है उसके अतिरिक्त मुझे कोई अन्य निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के तहत पदनामित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन) पहले आवंटित नहीं की गई है।

(vi) श्री/सुश्री...................(प्रेक्टिसरत चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार) को मैंने अपनी ओर से डीआईएन आवेदन पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया है।

*नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षर:

(नाम)

[फा. सं. 2/1/2011-सीएल-V]

अ. कु. श्रीवास्तव

अविनाश कु. श्रीवास्तव

संयुक्त सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना दिनांक 19.10.2006 को सा.का.नि. 649(अ) द्वारा प्रकाशित हुआ था तथा इसमें अंतिम संशोधन दिनांक 02.06.2011 के सा.का.नि. 427(अ) द्वारा किया गया था।